

7.12.22

पञ्जाबली पेश। वादीगण स्वयं उप. वादीगण को सुना गया। वादीगण की शेर से प्रस्तुत दस्तावेज, अपान व राजस्व रेकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन किया गया। लिखित बयान पर ध्यान किया एवं सम्पूर्ण पञ्जाबली का निश्चित अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है। फैसला विस्तृत प्रश्न से लिखा जाकर पञ्जाबली लक्ष्मीसुन्दर शेरार को पाल्ना हेतु तहरीर जारी है।



L2  
साक

पञ्जाबली फैसला शुद्ध होकर दर्ज नम्बर की काम की जाकर दाखिल पत्राह है।

  
सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) खंड